न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 24/19 GCMS NO 2019/00064

कैलाश चन्द पुत्र धन्नालाल जाति जैन पल्लीवाल निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

सतीश चंद पुत्र धन्नालाल जाति जैन पल्लीवाल निवासी पटोदा तहसील हिण्डौन सिटी हाल वासी ए–603 सोनम डेफोडील गोल्डन नक्सट फैज 2 मीरा मयेन्दर ईस्ट रोड मुम्बई

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 27/14 निर्णय दिनांक 31.3.16 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री तरूण कुमार शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री सतीश कुमार शर्मा।

दिनांक 03.10.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 31.3.16 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 1067 रकबा 0.75 है0, 1068 रकबा 0.71 है0, 1069 रकबा 0.91 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.37 है0 ग्राम उमरी एवं खसरा न0 348 रकबा 4.52 है0 ग्राम लालपुर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर काबिज रहकर प्रार्थी फसल से लाभान्वित होता चला आ रहा है। वर्णित भूमि मे पूर्व मे प्रार्थी द्वारा काश्त की गई ग्वार की फसल को देखकर अप्रार्थी की नियत मे खोट पैदा हो गया। इसलिए अप्रार्थी भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो गया तथा प्रार्थी को धमकी दी गई कि वह उक्त भूमि को अप्रार्थी को बेचान कर दे नही तो प्रार्थी को जबरन लठठ के जोर पर बेदखल करना पडेगा। इसलिए अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त भूमि मे प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करे तथा भूमि पर किसी प्रकार का जबरन निर्माण कार्य नही करे ना ही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थी को जबरन बेदखल नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की धारा 5 मियाद अधिनियम पर एवं अपील पर एक साथ सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मिसल के तथ्यो व विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुओ का बिना विधिक विश्लेषण किये सरसरी तौर पर नोन स्पीकिंग आदेश पारित करने मे भारी विधिक भूल की है। विवादित आराजीयात के सबंध मे अधिनस्थ न्यायालय मे वाद विचाराधीन है। जिसमे पक्षकारान व वादग्रस्त आराजी समान है इस कारण हस्तगत दावा संचनन नही है। किन्तु उसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र रेस्पो0 स्वीकार करने में भारी विधिक भूल की है जो निरस्त योग्य है। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ समान है तथा उक्त अनुतोष को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र टी आई मे दी जाने मे न्यायालय ने भारी विधिक भूल की है। जो निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट को पारिवारिक बंटवारे मे प्राप्त हुई है जिस पर अपीलांट का ही कब्जा है तथा जिसके संबंध मे बंटवारानामा तहरीर किया गया है जिस पर रेस्पो0 सहित अन्य भाई व पिता के हस्ताक्षर है जिससे भी स्पष्ट है कि भूमि पर कब्जा अपीलांट का है तथा रेस्पो0 द्वारा कब्जे के संबंध मे मात्र जमाबंदी जो कि कब्जे का प्रमाण नही है उसके पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पाबंद करने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को नजर अंदाज कर मात्र राजस्व रिकार्ड के आधार पर निर्णय पारित करने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे कथन किया है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज निजी दस्तावेज है व उन्हे रेस्पो0 द्वारा स्वीकार किया है जबकि उक्त दस्तावेज पारिवारिक दस्तावेज है तथा जिसे अस्वीकार करना रेस्पो0 की सोची समझी चाल है तथा उसी साजिश के तहत वादी ने साजिशी दावा प्रस्तुत किया है किन्तु उसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने मे भूल की है। जो निरस्त योग्य है। दिनांक 28.5.19 को जब अपीलांट वादग्रस्त भूमि की सार संभाल कर रहा था तो रेस्पो0 ने अपीलांट को धमकाते हुए कहा कि चुपचाप अपना कब्जा हटाओ मेने कोर्ट से पाबंद करवा दिया है जिस पर अपीलांट ने वकील से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि तुम्हे कोर्ट ने पाबंद किया है जिस पर अपीलांट ने नकल प्राप्त की तब प्रकरण की जानकारी हुई इस कारण जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। जानबूझकार कोई बिलम्ब नही किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार मानी जाकर स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि विवादित भूमि पर कब्जा अपीलांट का है। जबकि सत्यता यह है कि विवादित आराजीयात पर कब्जा रेस्पो0 का है। वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो/प्रार्थी की खातेदारी की व कब्जे काश्त की भूमि है जो राजस्व रिकार्ड से पूर्णतया साबित है। अपीलांट जबरन वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा करना चाहता है जिसका उसको कोई अधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन विधि के प्रावधानो के तहत ही प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पाबंद किये जाने की जानकारी दिनांक 28.5.19 को हुई थी, अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन झूठा है

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

क्योकि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब पेश किया गया था एवं दिनांक 31.3.16 को प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर सुनी जाकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी समय पर ही थी। इससे स्पष्ट है अपीलांट का उक्त कथन मिथ्या है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील ढाई वर्ष से भी अधिक समय पश्चात पेश की गई है। अपील को बिलम्ब से पेश करने के संबंध मे किसी ठोस कारण का उल्लेख अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मे नही किया गया है। जबकि कानूनन बिलम्ब के प्रत्येक दिवस का ठोस कारण का उल्लेख प्रार्थना पत्र मे करना चाहिए। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील रेस्पो/प्रार्थी को हेरान परेशान करने की गरज से की गई है। विवादित आराजीयात मे अपीलांट का किसी प्रकार का कोई हक एवं अधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषको की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि बिवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 के अनुसार प्रार्थी/रेस्पो0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि विवादित आराजीयात पारिवारिक बंटवारे मे अपीलांट को प्राप्त हुई है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ बंटवारा पत्र एवं माननीय न्यायालय अति0जिला जज गंगापुर सिटी के यहॉ दायर पारिवारिक विभाजन की छाया प्रतियां पेश की गई है वह समस्त दस्तावेज छाया प्रति है जिनके आधार पर भी विवादित आराजीयात पर अपीलाट का कब्जा सिद्व नही होता है। प्रस्तुत दस्तावेज पूर्व से ही अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है। विवादित आराजीयात के सबंध मे वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे हिस्से एवं अधिकार साक्ष्य के उपरान्त तय होगे। विवादित आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी/रेस्पो0 के नाम दर्ज है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 27/14 मे पारित निर्णय दिनांक 31.3.16 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर